नवभारत
भोपाल, शुक्रवार 23 जनवरी, 2026

एक नजर में

आरोन के वार्ड क्रमांक 06 में लगा विशेष शिविर

गुना। आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश कुमार सोनी के मार्गदर्शन में वार्ड क्रमांक 06 में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश कुमार सोनी ने स्वयं उपस्थित रहकर विभिन्न गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने वार्डवासियों के बीच पहुँचकर उनकी शिकायतों और मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान सीएमओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

व्यापारियों के लिए विशेष पेंशन अभियान शुरू

गुना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत एक विशेष पेंशन अभियान का संचालन किया जा रहा है। 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस महीने भर के अभियान के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। गुना परिक्षेत्र में सक्रिय समस्त बीड़ी श्रमिक, विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित श्रमिक और लघु व्यवसायी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माने गए हैं। योजना की पात्रता के लिए कामगार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक कांजी हाउस के पास, चौधरी मोहल्ला, गुना स्थित औषधालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

सावधान ! गुना में अवैध कॉलोनियों की बाढ़

जानकारी अनुसार 4 साल में टीएंडसीपी से सिर्फ 25 को मिली मंजूरी

नवभारत न्यूज

गुना 22 जन. का। जिले में रियल एस्टेट कारोबार में नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियां काटने का खेल धड़ल्ले से जारी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जिले में वैध निर्माण की रफ्तार बेहद सुस्त है, जबकि अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022 से अब तक पूरे जिले में महज 25 कॉलोनियों को ही विभाग से हरी झंडी मिली है, जबकि धरातल पर सैकड़ों कॉलोनियां विकसित की जा चुकी हैं।

गुना जिले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके बावजूद, वैध कॉलोनियों की संख्या बहुत कम है। वर्ष 2025 के डेटा के अनुसार, इस पूरे साल में केवल 10 कॉलोनियों को ही स्वीकृति मिल सकी है। विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2022 से अब तक स्वीकृत कुल 25 वैध कॉलोनियों में आरोन और राघौगढ़ क्षेत्र की कॉलोनियां भी शामिल हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि बाजार में बिक रही अधिकांश अन्य कॉलोनियां नियमों के विरुद्ध और अवैध श्रेणी में आती हैं।

अवैध कॉलोनी में निवेश यानी भविष्य में संकट

जिले के कलेक्टर ने भी समय-समय पर आमजन को सचेत किया है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। अवैध कॉलोनियों में सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और सरकार वहां विकास कार्य कराने के लिए बाध्य नहीं होती है। खरीदार स्वयं जागरूक बनकर टी एंड सीपी की वेबसाइट पर जाकर कॉलोनी की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं। अवैध कॉलोनी में खरीदा गया प्लॉट भविष्य में कानूनी अड़चनों और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

कॉलोनाइजर्स का तर्क: बेघर ही रहेगा मजदूर वर्ग

दूसरी ओर, कॉलोनाइजर्स का अपना तर्क है। उनका कहना है कि यदि सरकार की सभी अनुमतियों और कड़े नियमों का पालन करते हुए कॉलोनी काटी जाती है, तो प्लॉट की लागत इतनी अधिक हो जाती है कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। मध्यम वर्ग को सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए कॉलोनाइजर चाहते हैं कि सरकार नियमों में कुछ ढील दे, ताकि वैधता की प्रक्रिया सरल और किफायती हो सके। नियमों में जटिलता का सीधा नुकसान मजदूर वर्ग को होगा, जो कई सालों की मेहनत और बचत के बाद छोटी पूंजी ही बचा पाता है। ऐसे में अवैध कॉलोनियां उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां कम से कम उसे छत तो नसीब हो जाती है। अन्यथा किराए के मकान में रहने के दौरान सुविधाओं से जूझने के साथ-साथ मजदूर वर्ग को गंभीर आर्थिक संकट भी उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कॉलोनाइजर कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जटिलताओं के चलते खर्च कई गुना बढ़ेगा और प्लॉट के दाम आसमान छू जाएंगे। ऐसे में मजदूर वर्ग हमेशा की तरह बेघर ही रहेगा। फिलहाल, प्रशासन की सख्ती और कॉलोनाइजर्स की मनमानी के बीच आम खरीदार संशय की स्थिति में है।

नियमों का पेंच और आर्थिक वर्ग का कोटा

नियमों के अनुसार, कॉलोनी काटने के लिए कॉलोनाइजर को कमजोर और मध्यम आय वर्ग के लिए भूमि आरक्षित करनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत हिस्सा इस वर्ग के लिए प्लॉट विकसित करने हेतु छोड़ना अनिवार्य है। हालांकि, इन प्लॉटों की दर निर्धारित करने के लिए कॉलोनाइजर स्वतंत्र होता है। इसके साथ ही, रेरा के तहत पंजीयन कराना हर कॉलोनाइजर के लिए अनिवार्य है, लेकिन जिले के अधिकांश कॉलोनाइजर इन नियमों का पालन करने से बच रहे हैं।

इंदौर से युवती को बहला-फुसलाकर गुना लाया युवक, संघ ने किया सम्मान

गुना। इंदौर से बहला-फुसलाकर लाई गई एक हिंदू युवती को कैंट पुलिस और स्थानीय अधिवक्ता के प्रयासों से सकुशल बरामद कर लिया गया है। युवती पिछले 6 महीने से गुना के गुलाबगंज क्षेत्र में रह रही थी, जिसे बुधवार शाम को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंदौर निवासी एक गैर धर्म का युवक करीब 6 माह पूर्व इंदौर की एक युवती को बहला-फुसलाकर गुना ले आया था। वह युवक यहाँ कैंट थाना क्षेत्र के गुलाबगंज में निवास कर रहा था और उमरी रोड स्थित एक वेल्डिंग की दुकान पर कार्य कर रहा था। काफी समय तक खोजबीन करने के बाद, जब युवती के परिजनों को उसके गुना में होने की पुख्ता सूचना मिली, तो उन्होंने गुना के अधिवक्ता दीपक रजक से संपर्क साधा। अधिवक्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कैंट पुलिस को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस सक्रिय हुई। एडवोकेट दीपक रजक और पुलिस टीम के सहयोग से युवती को उचित समझाइश दी गई। काउंसलिंग के बाद युवती अपने परिजनों के साथ जाने को तैयार हो गई। बुधवार शाम को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने युवती को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद वह खुशी-खुशी अपने घर इंदौर के लिए रवाना हुई। इस सफल रेस्क्यू और सामाजिक सक्रियता को देखते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकताओं में उत्साह देखा गया। गुरुवार शाम को मंच के सदस्य कोर्ट परिसर पहुंचे और अधिवक्ता दीपक रजक का भव्य स्वागत कर उनका सम्मान किया गया।

बुजुर्ग को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर सौंपी मकान की चाबी

गुना। जिले में 'मोबाइल कोर्ट' के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का आपसी सहमति और मौके पर निराकरण करने का अभियान रंग ला रहा है। इसी कड़ी में एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को उनके घर पर वापस कब्जा दिलाकर प्रशासन ने बड़ी राहत प्रदान की है। तैलघानी चौराहा निवासी 73 वर्षीय अशोक अग्रवाल ने जनसुनवाई के दौरान एक भावुक आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि तहसील गुना नगर के अंतर्गत बाहुबलीपुरम कॉलोनी स्थित उनके मकान पर विक्रांत भोसले, सूर्या रघुवंशी और विक्रम रघुवंशी ने अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित बुजुर्ग ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वे घर में अकेले रहते हैं; उनके बड़े बेटे की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी और पत्नी का निधन कैंसर की बीमारी से हो गया। इस स्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने तुरंत मोबाइल कोर्ट के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए। इन निदेशों के पालन में तहसीलदार जी.एस. बैरवा और उनकी राजस्व टीम तुरंत मौके पर पहुँची। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को मकान से बेदखल किया गया। 73 वर्ष की आयु में अपने ही घर के लिए भटक रहे बुजुर्ग ने अपना मकान वापस पाकर राहत की सांस ली और कलेक्टर को इस त्वरित न्याय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

किला परिसर में फ्लेक्स लगाकर दिया सामाजिक जागरुकता का संदेश

गुना। एसपी अंकित सोनी के संवेदनशील नेतृत्व में जिले को अपराधमुक्त, भयमुक्त और सौहार्दपूर्ण बनाने के संकल्प के साथ गुना पुलिस निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज बजरंगगढ़ थाना पुलिस ने ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर फ्लेक्स लगाकर आमजन को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया गया। बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कृपाल सिंह परिहार ने अपने स्टाफ के साथ सुप्रसिद्ध बीस भुजा देवी माता मंदिर, बजरंगगढ़ किला परिसर और कस्बे के भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता फ्लेक्स लगवाए। इन फ्लेक्स के माध्यम से अपील की गई है कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए वहां अश्लील फोटो या वीडियोग्राफी न करें। साथ ही, सुरक्षा के मद्देनजर घरों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का संदेश भी दिया गया है। पुलिस ने समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करने की बात कही है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए दोपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने और शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा, जुआ, सट्टा, स्मैक और गांजा जैसे अनैतिक कार्यों की जानकारी निर्भीक होकर पुलिस को देने की अपील की गई है। बढ़ते डिजिटल अपराधों को देखते हुए फ्लेक्स में मोबाइल पर आने वाले फर्जी और फ्रॉड कॉल से सतर्क रहने का परामर्श दिया गया है। साथ ही, छोटे-मोटे घरेलू विवादों को आपसी समझौते से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और किसी भी समस्या की शिकायत बिना किसी भय के पुलिस को बताने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

जन-भागीदारी और सराहना

पुलिस के इस सराहनीय प्रयास पर बीस भुजा देवी मंदिर के पुजारी, किला केयरटेकर और क्षेत्र के नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक के प्रति आभार जताया है । इस दौरान आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह सहित पुलिस मित्र दल के सदस्य विशेष पचौरी, मोहित, हर्ष और दिनेश उपस्थित रहे। गुना पुलिस का यह जनजागरूकता अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा।

कर्ज और विवाद से तंग मासूम बच्ची संग सड़क पर बैठी महिला

नवभारत न्यूज

गुना। गुरुवार को हड्डीमील रोड पर अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां एक महिला अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर बीच सड़क पर बैठ गई। लगभग दो घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान सड़क से भारी वाहन गुजरते रहे, लेकिन इंसाफ की गुहार लगा रही महिला वहां से नहीं हिली। जानकारी सामने आई कि शालू पारदी नामक महिला अपनी बच्ची को लेकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही के बावजूद महिला टस से मस नहीं हुई, जिससे किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रही। स्थानीय लोगों ने जब यह मंजर देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को समझा-बुझाकर सड़क से हटाया। शालू पारदी का आरोप है कि पारदी समुदाय के कुछ लोग उसे कर्ज वसूली के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे घर से भगाने की कोशिश की जा रही है। महिला के अनुसार, आरोपियों ने उसकी बेटी की शादी के लिए कर्ज दिया था, जिसे अब वे डरा-धमका कर वसूल रहे हैं। दूसरी ओर, मामले में एक और पहलू सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला की एक बेटी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका दामाद दूसरी शादी कर रहा है। इसी बात को लेकर परिवार में गहरा विवाद चल रहा है। उसने आरोप लगाया कि पुलिस यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि 'पारदी समुदाय के मामले आपसी सुलह से तय होते हैं, इसलिए पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती। घटना के बाद पुलिस अब मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला काफी उलझा हुआ है, जिसमें कर्ज के साथ-साथ पारिवारिक विवाद भी शामिल है।

रास्ते में खराब हो गया ट्रैक्टर, जननी एक्सप्रेस 108 ने पहुंचाया आरोन अस्पताल

गुना। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात जब एक गर्भवती महिला की जान जोखिम में थी और साधन ने भी साथ छोड़ दिया था, तब जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस उसके लिए जीवन दायिनी बनकर आई। एम्बुलेंस कर्मियों ने तत्परता दिखाई और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया। जानकारी सामने आई है कि आरोन क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा खुर्द निवासी 24 वर्षीय पूजा कुशवाह को रात करीब 3 बजे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पति बलराम कुशवाह और परिजन उन्हें निजी साधन ट्रैक्टर-ट्रॉली से सिविल हॉस्पिटल आरोन लेकर रवाना हुए। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और रात के सन्नाटे में बूढ़ाडोंगर के पास ट्रैक्टर खराब हो गया। सुनसान रास्ते पर ट्रैक्टर खराब होने से परिजन घबरा गए। पति बलराम ने तत्काल 108 कॉल सेंटर पर सूचना देकर मदद मांगी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस क्रमांक सीजी 04 एनवी 1424 को मौके के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस में तैनात ईएमटी केशव श्रीवास्तव और पायलट चंद्रेश ओझा बिना समय गंवाए मौके पर पहुँचे। उन्होंने प्रसव पीड़ा से तड़प रही पूजा को सावधानीपूर्वक एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और समय रहते सिविल अस्पताल आरोन में भर्ती कराया। समय पर मिली इस मदद के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। महिला के परिजनों ने 108 सेवा और एम्बुलेंस स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, तो रात के अंधेरे में बीच रास्ते में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थीं।

जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान गुना, चल समारोह संपन्न

गुना। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर आज गुना शहर पूरी तरह राममय नजर आया। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए महाकाल महिला मंडल समिति द्वारा शहर में एक विशाल और भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने हिस्सा लिया।

चल समारोह कैंट चौराहे से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों- हीराबाग, हनुमान चौराहा, हाट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार और लक्ष्मीगंज से होता हुआ जयस्तंभ चौराहा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पर संपन्न हुआ। हाथों में भगवा ध्वज थामे महिलाएं पूरे उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रही थीं। चल समारोह का मुख्य आकर्षण फूलों से सजा भव्य रथ था, जिसमें भगवान श्री राम की मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई थी। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया और प्रभु के दर्शन किए। समारोह के दौरान भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। ढोल-नगाड़ों की थाप पर महिलाएं जमकर थिरकीं और भजन-कीर्तन का आनंद लिया। नारी शक्ति का यह उत्साह देखते ही बन रहा था, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक और उल्लासमय हो गया। चल समारोह जिन मार्गों से गुजरा, वहां राहगीर भी रुककर इस भव्य नजारे को निहारने लगे। महाकाल महिला मंडल समिति के सदस्यों ने बताया कि यह आयोजन अयोध्या के गौरवशाली दिन की स्मृति को जीवंत रखने और समाज में एकता व भक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है।

समीक्षा बैठक ▶ **लिंग अनुपात में सुधार और एमएमआर-आईएमआर कम करने के कड़े निर्देश**

स्वास्थ्य विभाग और महिला-बाल विकास की समीक्षा

नवभारत न्यूज

गुना। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषिश्वर और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार सहित दोनों विभागों के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सीएमएचओ ने पीपीटी के माध्यम से विभागीय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। कलेक्टर कन्याल ने जिले में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में प्रभावी सुधार लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने और गर्भवती महिलाओं का 'अनमोल पोर्टल' पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एनीमिया और लो बीपी जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास करने और टीबी उन्मूलन के लिए स्क्रीनिंग बढ़ाने को कहा। आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बेहतर मॉनिटरिंग के चलते जिले में कार्ड निर्माण का कार्य अच्छा रहा है। उन्होंने सिकल सेल रोगियों की पहचान और उपचार के निरंतर प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं में खून की कमी दूर करने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गुड़ और मूंगफली के सेवन के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी।

'राहगीर योजना': घायल की मदद पर 25,000 का पुरस्कार

बैठक में 'राहगीर योजना' पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर (गोल्डन ऑवर) अस्पताल पहुँचाने वाले मददगार को राज्य सरकार द्वारा 25,000 का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने अपील की कि इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि आमजन बिना किसी कानूनी भय के घायलों की मदद के लिए आगे आएं।

भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात पर कड़ा रुख

कलेक्टर ने भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मामलों पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई भी प्रकरण सामने आता है, तो संबंधितों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले के लिंग अनुपात में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया।

शिकायतों का त्वरित निराकरण

कलेक्टर कन्याल ने अधिकारियों को दो-टूक शब्दों में हिदायत दी कि डेटा रिपोर्टिंग में किसी भी स्तर पर हेरफेर न किया जाए। उन्होंने कहा कि जानकारी पूर्णत: सही होनी चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ को नियमित फील्ड विजिट करने, आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही 'संकल्प से समाधान' अभियान और सीएम हेल्पलाइन की उन शिकायतों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया जो 100 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

गढ़ला गिर्द में पारदी डेरों पर दबिश, तीन लाख से अधिक का लाहन और मदिरा नष्ट

गुना। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशन में जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम गढ़ला गिर्द में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री जब्त की है।

जिला आबकारी अधिकारी गुरुप्रसाद केवट के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त प्रभारी राधाकिशन अटारिया की टीम ने जब गढ़ला गिर्द स्थित पारदियों के डेरों पर अचानक छापा मारा, तो वहां अफरा-तफरी मच गई। तलाशी के दौरान जंगल के पठारी क्षेत्र में जमीन के भीतर गड़ी हुई लोहे और प्लास्टिक की बड़ी टंकियां बरामद हुईं। इन टंकियों में लगभग 3000 किलोग्राम गुड़ लाहन भरा हुआ था, जिससे अवैध शराब बनाने की तैयारी की जा रही थी।

जब्त किए गए भारी मात्रा में लाहन को मौके से लाना संभव न होने के कारण टीम ने सैंपल लेकर उसे वहीं नष्ट कर दिया। इसके साथ ही 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भी जब्त की गई।

25 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस

गुना। 25 जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रात: 11 बजे से आयोजित होगा, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी और प्रबुद्ध जन सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यालयों में पदस्थ समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकतांत्रिक परंपराओं की मयार्दा बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन में सहभागिता करने की 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ' दिलाई जाएगी। लोकतंत्र में प्रत्येक मत के महत्व को रेखांकित किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में होने वाले मुख्य आयोजन में मतदाता जागरूकता की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया जा है।